न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:–48/2021 तारीख रजू:–24.09.2021

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2021/135

पीठासीनअधिकारी :–जोगेंन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. बद्री पुत्र पॉचू बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. अम्बालाल पुत्र श्रीनारायण बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र शंकर लाल बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. रामअवतार पुत्र शंकर लाल बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

उपस्थित–

वकील प्रार्थी:–श्री हंसराज यादव, एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2:– एक पक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक:–21.01.2026

वादपत्र बाबत् उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 आर0टी0 एक्ट

–: निर्णय :–

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है–

- वादीगण ग्राम डिडायच ग्राम पंचायत डिडायच तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर के स्थायी निवासी है।

- आराजीयात साबिक ख.नं. 137 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा बारानी 2 कुल किता 1 कुल रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम डिडायच प०ह० डिडायच तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर वादीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात है जिसको वादीगण ने प्रतिवादीगण स. 1 [illegible] मप्रकाश एवं रामअवतार पि० शंकर लाल बैरवा निवासी ग्राम [illegible] जिला सवाई माधोपुर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक [illegible].06.1996 को खरीद की है तभी से वादीगण उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:33:50 IST
Reason: SelfAttested

- भू प्रबन्ध विभाग ने उक्त आराजीयात ख.नं. 137 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा के नये ख0नं0 539 रकबा 0.67 है० बनाये है।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- ❖ वादीगण के कब्जे काश्त का आराजीयात जिसके नवीन ख0नं0 539 रकबा 0.67 है० प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 ओमप्रकाश एवं रामअवतार पि० शंकर लाल बैरवा निवासी ग्राम डिडायच तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर का नाम जमाबंदी मे दर्ज है जबकि वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 3 को नामांतकरण दर्ज करने हेतु जमाबंदी की नकल पेश कर दी। नकल जमाबंदी वाद पत्र के साथ संलग्न है।

- ❖ उक्त भूमि पर वादीगण का दिनांक 26.06.1996 से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का वादीगण की उक्त आराजीयात से कोई संबंध नही है। आज भी उपरोक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा है।

- ❖ वादीगण द्वारा कय की गई भूमि साबिक ख0नं0 137 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा बारानी 2 वाके ग्राम डिडायच प०ह० डिडायच तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर का नामांतकरण संख्या 562 दिनांक 22.07.1996 सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी सवाई माधोपुर (राज०) द्वारा वादीगण के पक्ष मे भरा जाकर नामांकरण पंजीका में अंकन कर दिया परन्तु उपरोक्त भूमि का नामांतकरण का अमल आज तक नही किया गया। वादीगण को उपरोक्त आराजी ख०नं० 539 रकबा 0.67 है० प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 ओमप्रकाश एवं रामअवतार पि० शंकर लाल बैरवा निवासी ग्राम डिडायच तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर के खाते मे गलत दर्ज होने का पता वादीगण को तब चला जब वादीगण दिनांक 12.09.2021 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु जमाबंदी की नकल लेने हेतु हल्का पटवारी के पास गया तो हल्का पटवारी ने बताया कि तुम्हारी जमीन तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज हो गई तब उक्त गलती का पता चला।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

- ❖ राजस्व रिकोर्ड मे हुये गलत इन्द्राजात को क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है इसलिये यह दावा जानकारी व नकल मिलने पर दिनांक 12.09.2021 से अन्दर अवधि पेश है।

- ❖ वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय से घोषणा इस अमर की प्राप्त करे कि वाद पत्र के मद सं. 2 में वर्णित आराजीयात वादीगण की खरीदशुदा भूमि है एवं वादीगण उसका खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की खातेदारी मे दर्ज ख0नं0 539 रकबा 0.67 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.67 है0 पर से गलत नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करते हुये प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 ओमप्रकाश एवं रामअवतार पि० शंकर लाल बैरवा निवासी ग्राम डिडायच तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर के खाते मे से हटाकर अपनी खातेदारी मे दर्ज करावे।

- ❖ बिनाय दावा दिनांक 12/09/2021 को के०सी०सी० ऋण हेतु जमाबंदी की नकल लेने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तब पटवारी हल्का ने गलत इन्द्राज का बताया। वादीगण को दिनांक 12.09.2021 को जमाबंदी की नकल लेने पर जानकारी हुई इसलिये दावा दिनांक 12.09.2021 से अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

- ❖ अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे।

  - ➢ उदघोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि ग्राम डिडायच प०ह० डिडायच तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर मे स्थित वर्तमान ख0नं0 539 रकबा 0.67 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.67 है० वादीगण की खरीदशुदा आराजीयात को अपनी खातेदारी मे दर्ज कराने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचाने के लिये जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:33:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

➢ समस्त रिकोर्ड ऑफ राईटस एवं रेवेन्यू रिकोर्ड में से उपरोक्त आराजीयात प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 की खातेदारी मे से हजफ कर वादीगण की खातेदारी मे दर्ज करने का आदेश प्रदान करे एवं ग्राम डिडायच पटवार हल्का डिडायच का नामांतकरण संख्या 562 निर्णय दिनांक 22.07.1996 भू प्रबन्ध अधिकारी सवाई माधोपुर का अमल किया जाकर समस्त रिवेन्यू रिकोर्ड दुरूस्ती करने का आदेश फरमावे ।

➢ प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे ग्राम डिडायच प०ह० डिडायच तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित वादग्रस्त आराजी वर्तमान ख0नं0 539 रकबा 0.67 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.67 है0 मे वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत व मुखाबलत नहीं करे न रहन व्यय विक्रय करे न हस्तान्तरित करे न स्वयं न किसी दीगर व्यक्ति व नौकर एजेन्ट से करावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिवादीगण जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया गया।

3. प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध दिनांक 30.09.2024 को एवं प्रतिवादी संख्या 02 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध दिनांक 10.10.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. वकील वादीगण ने साक्ष्य के समर्थन में निम्न मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये–

⇨ **पी0डब्ल्यू–01**:–बद्री पुत्र पांचू बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
⇨ **पी0डब्ल्यू–02**:–अम्बालाल पुत्र नारायण बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
⇨ **प्रदर्श–01**:–विक्रय पत्र दिनांक 24.06.1996
⇨ **प्रदर्श–02**:–नामान्तरकरण संख्या 562 निर्णय दिनांक 22.07.1996 की प्रमाणित प्रति।
⇨ **प्रदर्श–03**:–जमाबंदी संवत् 2037–2040 वाके ग्राम डिडायच।
⇨ **प्रदर्श–04**:–मिलान क्षेत्रफल ग्राम डिडायच।
⇨ **प्रदर्श–05**:–खतोनी बंदोबस्त खाता संख्या 85, ग्राम डिडायच।
⇨ **प्रदर्श–06**:–जमाबंदी संवत् 2069–2072 खाता संख्या 19 ग्राम डिडायच।
⇨ **प्रदर्श–07**:–जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 20 ग्राम डिडायच।
⇨ **प्रदर्श–08**:–जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 21 ग्राम डिडायच।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

5. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया।

6. मैंने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:33:50 IST
Reason: SelfAttested

7. विक्रय पत्र दिनांक 24.06.1996 **(प्रदर्श–01)** से [illegible] कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से साबिक खसरा नं[illegible]क्रय की थी। मिलान क्षेत्रफल **(प्रदर्श–4)** से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 137 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा से खसरा नंबर 539 रकबा 0.67 है0 बनाया गया है। सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, सवाई माधोपुर ने नामान्तरकरण संख्या 562 दिनांक 22.07.1996 **(प्रदर्श–02)** द्वारा विवादित आराजी का वादीगण के पक्ष में तस्दीक कर दिया, जिसका आदिनांक राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 ने वादपत्र के संबंध में न तो कोई जवाब पेश किया है और न ही कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये हैं।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को आधार मानते हुए विवादित आराजी को वादीगण के पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.06.1996 में अंकित आराजीयात साबिक खसरा नंबर 137 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा के हाल नवीन खसरा नंबर 529 रकबा 0.67 है0 एवं बाद विभाजन बने नवीन खसरा नंबर 1441/539 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 1442/539 रकबा 0.33 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.67 है0 वाके ग्राम डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है, एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि उक्त आराजीयात का वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे हाल नवीन खसरा नंबर 529 रकबा 0.67 है0 एवं बाद विभाजन बने नवीन खसरा नंबर 1441/539 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 1442/539 रकबा 0.33 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.67 है0 वाके ग्राम डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:33:50 IST
Reason: SelfAttested

वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी** स्थान **चौथ का बरवाडा**

1. बद्री पुत्र पॉचू बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. अम्बालाल पुत्र श्रीनारायण बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र शंकर लाल बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. रामअवतार पुत्र शंकर लाल बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

नम्बर मुकदमा 48 सन् 2021

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर0टी0 एक्ट

वादीगण की ओर से **श्री हसंराज यादव, एडवोकेट** एवं प्रतिवादीगण की ओर से **एकपक्षीय कार्यवाही** की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 21.01.2026 को **श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि** रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.06.1996 में अंकित आराजीयात साबिक खसरा नंबर 137 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा के हाल नवीन खसरा नंबर 529 रकबा 0.67 है0 एवं बाद विभाजन बने नवीन खसरा नंबर 1441/539 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 1442/539 रकबा 0.33 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.67 है0 वाके ग्राम डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है, एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि उक्त आराजीयात का वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे हाल नवीन खसरा नंबर 529 रकबा 0.67 है0 एवं बाद विभाजन बने नवीन खसरा नंबर 1441/539 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 1442/539 रकबा 0.33 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.67 है0 वाके ग्राम डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करें। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें।

इस वाद के खर्चे लेखें **X** रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर **X** प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित **X** द्वारा **X** को दी जाए। यह आज तारीख 21.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	00	00			
	जोड	00	00	जोड	00	00

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:33:50 IST
Reason: SelfAttested